लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्र/कम्प्यू/बी/रोज/माइको./09//89 भोपाल दिनांक 26.12.9

प्रति,

प्राचार्य,

शा.जिला उत्कृष्ट विद्यालय,

समस्त जिले म.प्र.

विषयः– कक्षा 11वी एवं 12वी के विद्यार्थियो को निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण माइक्रोसॉफट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने विषयक।

विषयांतर्गत माइक्रोसॉफट के द्वारा कक्षा 11वी एवं 12वी के छात्रों को रोजगार प्रशिक्षण देने संबंधी प्रोग्राम के लिए राज्य शासन द्वारा माइकोसाफट कंपनी के साथ अनुबंध की कार्यवाही की जा रही है। प्रारम्भ में यह प्रशिक्षण पायलट आधार पर प्रदेश के 20 चयनित हायर से. स्कूलो में दिया जायेगा जिसे आगे 200 स्कूलों तक विस्तारित किया जायेगा। इस हेतु ऐसे स्कूलों का चयन किया जाना है जिनमें 10 से 15 कम्प्यूटर उपलब्ध हो। प्रशिक्षण ऐसे विद्यार्थियों को दिया जायेगा जिन्हें कम्प्यूटर का प्रारम्भिक ज्ञान हो ।

प्रशिक्षण प्रारंभ में दिसम्बर 2009 से मई 2010 तक दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण की अवधि 110 से 120 घंटे तक रहेगी। प्रशिक्षण में दो मॉडुल होगें :–

1. डिजिटल लिटरेसी (30 से 40 घंटे)
2. स्पोकन इंग्लिश (80 घंटे)

प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु छात्रों को ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित होकर सफल होना होगा। सफल परीक्षार्थियों को डिजिटल लिटरेसी सार्टिफिकेट एवं इंग्लिंश कम्यूनीकेशन सार्टिफिकेट दिया जायेगा जिन्हें वेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। सफल विद्यार्थी उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को इम्पलाईमेंट एजेंसी को भेजेंगे जिससे कि उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगें।

माइक्रोसॉफट द्वारा चयनित विद्यालयों में से 1–1 शिक्षका का चयन मास्टर ट्रेनर के रूप में किया जायेगा तथा इन्हें संबंधित जिले की डाईट में 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन मास्टर ट्रेनर का उपयोग आगामी समय में 200 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु किया

जा सकेगा। अतः आप अपने विद्यालय में कम्प्यूटर का संचालन करने वाले शिक्षक का चयन कर उसकी जानकारी भी संचालनालय को उपलब्ध करावें।

प्रथम चरण में केवल 20 चयनित विद्यालयों में उक्त प्रशिक्षण लागू किया जाना है । अतः आप अपने विद्यालय की जानकारी संलग्न दों प्रारूपों में भरकर आवश्यक रूप से दिनांक 05.01.2010 तक भिजवायें जिससे कि आपके विद्यालय का नाम भी चयन सूची में सम्मिलित कर चयन किये जाने के संबंध में विचार किया जा सके । निर्धारित समयापरांत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृ. क्र/कम्प्यू/बी/रोज/माइको./09//90 भोपाल दिनांक 26.12.09

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक उत्कृष्ट विद्यालय कक्ष, लोक शिक्षण संचालनालय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले के जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्यो को उक्त पत्र तत्काल उपलब्ध कराकर उनसे जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में लोक शिक्षण संचालनालय को व्यक्तिशः एवं ई–मेल **saxena.bb@nic.in** पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें । समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा ओर इस कारण से यदि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी रहेगी।

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

प्रारूप 1 :—

जिले का नाम :—

विद्यालय का नाम :—

क्रमांक	विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या	एल.सी.डी. प्रोजेक्ट की उपलब्धता है अथवा नहीं ।	इंटरनेट कनेक्शन है अथवा नही।	ई—मेल एड्रेस
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर

प्राचार्य का नाम :—

प्राचार्य का मोबाईल नंबर

प्रारूप 2 :—

क्रमांक	विद्यालय के शिक्षकों की संख्या	विद्यालय में नामांकित कक्षा 11 वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की संख्या		
		छात्र	छात्रायें	कुल
1	2	3	4	5